'स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य में अध्यापन-कर्म की रूपरेखा' पर संगोष्ठी : एक संक्षिप्त रपट

23 से 25 मई, 2017 तक दिल्ली के अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 'स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य में अध्यापन-कर्म की रूपरेखा' विषय पर एक तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की शैक्षिक विषयों पर हिन्दी व कन्नड़ में संगोष्ठी आयोजित करने की योजना के तहत हिन्दी शृंखला 'शिक्षा के सरोकार' के तहत यह पहला आयोजन अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु तथा अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, ने संयुक्त रूप से किया।

संगोष्ठी की शृंखला का आयोजन अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन के काम और उसकी व्यापक परिकल्पना का एक अभिन्न अंग है। फाउण्डेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए बड़े पैमाने पर गहराई के साथ संस्थागत प्रभाव डालने के लिए कार्यरत है। 'अनुवाद पहल' कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र की भाषाओं (फिलहाल हिन्दी तथा कन्नड़) में गहन शैक्षिक विमर्श, शोध व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना भी है।

संगोष्ठी के संयुक्त आयोजक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है। इसके स्कूल ऑफ़ एजुकेशन स्टडीज की कल्पना पेशेवर और अध्येताओं के एक ऐसे उभरते समुदाय के रूप में की गयी है जो विद्वत्ता और नित अभ्यास के जरिये शिक्षा को उसके ऐतिहासिक और समसामयिक सन्दर्भों में समझेंगे। अनिवार्यतः सामाजिक शास्त्र, मानविकी और कला विषयों में अनुसन्धान और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय की रुचि भी हिन्दी में शैक्षिक विमर्श व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने में है।

संगोष्ठी की पृष्ठभूमि

भारत के स्कूली तंत्र में शिक्षक की भूमिका पर हाल की चर्चा शिक्षक की वांछनीय योग्यता, प्रशिक्षण और बच्चों के सीखने-सिखाने में उसकी भूमिका पर भी केन्द्रित हो रही है। यह चर्चा सरकारी प्राथमिक व अब उच्च-प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वंचित वर्ग के बच्चों के आने से ज्यादा तीखी हुई है। यह स्पष्ट है कि हमारे स्कूली तंत्र में अध्ययन-अध्यापन के वांछित स्तर नहीं मिलते हैं। हालांकि स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कई तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में कुशल शिक्षक शिक्षण के लिए उपलब्ध हों। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो, व्यवस्थित ढंग से उनकी क्षमता वर्धन की व्यवस्था हो और उनके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाएँ कि वे अपना काम उत्साहपूर्वक कर सकें। इसके इर्दगिर्द कई सवाल हैं कि एक योग्य शिक्षक से हमारा तात्पर्य क्या है व उसकी योग्यता देखने के क्या मापदंड हों ओर फिर एक योग्य और सक्षम शिक्षक बनने की प्रक्रिया क्या होगी?

कई बार यह कहा जाता है कि सक्षम शिक्षक बनने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता, काम के प्रति निष्ठा और प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए विषय-वस्तु, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक आधार आदि की बारीक समझ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी कहते हैं कि कोई भी आम व्यक्ति अगर पढ़ाने की प्रेरणा और उत्साह से भरपूर हो तो वह विषय-वस्तु और उसे पढ़ाने का समुचित तरीका खुद ही ढूँढ़ लेगा चाहे वह दसवीं पास हो या एम ए हो।

इससे यह सवाल उभरता है कि क्या सेवापूर्व प्रशिक्षण से शिक्षकों को स्कूल की वास्तविक ठोस परिस्थितियों में पढ़ाने में कोई मदद मिलती है या वे जो कुछ भी सीखते हैं वे स्कूल में काम करते हुए व्यवहारिक स्तर पर सीखते हैं? अगर सेवापूर्व प्रशिक्षण जरूरी है तो उस प्रशिक्षण का स्वरूप और उसका शिक्षाक्रम क्या होना चाहिए?

इसके साथ-साथ शिक्षकों व उनके कार्य से सहानुभूति रखने वाले लोगों के भी कई सवाल हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रशासन के व्यवहार से तो चिंतित हैं ही, इससे भी परेशान हैं कि उन्हें स्कूल में और स्कूल के बाहर भी शिक्षकीय काम के अलावा बहुत कुछ करना पड़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बाद से (असल में तो पहले से ही) सभी ओर से पर खासतौर पर कई शिक्षकों की ओर से भी यह पुरजोर ढंग से कहा जाने लगा कि शिक्षक को न तो किसी भी तरह की परीक्षा लेने की और न ही विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार की सख्ती की इजाजत है। ऐसे में शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे सुनिश्चित करें? सरकारी स्कूलों में जिन सामाजिक समूहों के बच्चे आ रहे हैं उनमें पढ़ने-लिखने की कोई पारिवारिक परम्परा नहीं है और वे अपने बच्चों की न तो घर में मदद कर पाते हैं और न ही पढ़ने-लिखने का परिवेश ही मुहैया करवा पाते हैं। ऐसे में हम क्या करें?

स्कूली तंत्र की सतह पर उठने वाले इन प्रश्नों के मूल में कुछ ज्यादा गहरे सैद्धांतिक सवाल हैं।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु तथा अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी इन्हीं सवालों के परिप्रेक्ष्य में व्यापक विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गई। इसे हिन्दी में करने का निर्णय अधिक से अधिक लोगों को इस विमर्श में सीधे जोड़ने के प्रयास के चलते भी था और हिन्दी में शिक्षा पर अच्छे स्तर की सामग्री तैयार करने के लिए भी। संगोष्ठी का आधार पत्र इस सबके आलोक में बनाया गया और उसे देश भर में फैली विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं तथा शिक्षा, खासकर शिक्षक शिक्षा, में काम कर रहे व्यक्तियों तथा संस्थाओं तक पहुँचाया गया। संगोष्ठी में विषय को तीन प्रकरणों में बाँटा गया था।

भारत में अध्यापन-कर्म व उसमें बदलाव

एक अध्यापक के काम को ठीक-ठीक किस प्रकार समझें। अध्यापक के काम को उससे मिलते-जुलते अन्य कामों से कैसे अलग किया जाए? शिक्षण-कर्म की विशिष्टता क्या है? कल्पना यह थी कि इन प्रश्नों पर नए सिरे से भारतीय समझ व परिस्थिति के संदर्भ में तर्कपूर्ण विचार हो पाएगा और इन उम्मीदों पर सेमिनार खरा उतरा।

अध्यापक बनने की प्रक्रिया

दूसरा बिन्दु था, शिक्षक-शिक्षा का संस्थागत स्वरूप कैसा हो? शिक्षक-शिक्षा के लिए आज किस प्रकार की पाठ्यचर्या, अध्यापन-विधि और प्रशिक्षकों की जरूरत है? क्या अध्यापक का काम करते हुए निरंतर सीखना और उनका क्षमता-वर्धन भी है? क्या उसके पास इसके लिए समय है? आदि

अध्यापक की पहचान

इस भाग का प्रयास आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ व नये संस्थानिक और प्रशासनिक ढाँचे के आलोक में बदलती व संकीर्ण होती शिक्षक की भूमिकाओं को समझने का था। इसमें हाल ही में नई तरह से निर्मित हुई शिक्षक की पहचान को व्याख्याइत व विश्लेषित किया गया व इसके निहितार्थों को समझने का प्रयास किया गया।

शिक्षक जिस प्रकार अपनी आत्मछवि गढ़ते हैं उससे उनका अध्यापन-कर्म प्रभावित होता है। अपने काम और परिवेश के अर्थ-ग्रहण में आत्म चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा लगता है कि आज मे समय में शिक्षक की आत्मछवि और उसकी जनछवि में बड़ी दरार पैदा हो गई है। सेमिनार के लिए बदले हुए परिवेश में शिक्षक की पहचान के विविध तंतुओं को समझने और उन पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत महसूस हुई। सेमिनार में कई मसलों पर पर्चे लिखे गए; जैसे, आधुनिक शिक्षा-तंत्र के विकास के साथ शिक्षक की अध्यापकीय पहचान किन पड़ावों से होकर गुजरी है? भारत जैसे देश में जन्म आधारित अन्य पहचानो के साथ इस नई पेशेवर पहचान का क्या ताल्लुक रहा है? स्कूली शिक्षा-तंत्र में कौन-से वे घटक हैं जो शिक्षक की पेशेवर पहचान को सुदृढ़ करते हैं और कौन-से तत्व ऐसे हैं जिनसे शिक्षक की अस्मिता का क्षरण होता है?

कुछ वाक्य संगोष्ठी के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के रास्ते के बारे में। व्यापक तौर पर वितरित आधार पत्र में लोगों से एक तय तारीख तक पर्चे का मूल विचार भेजने को कहा। इस एब्स्ट्रैक्ट का अध्ययन आयोजन समिति द्वारा चुने गए अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय तथा

अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक विशेषज्ञों ने किया। इन एब्स्ट्रैक्ट में से उचित स्तर के व उपयुक्त कौन से हो सकते हैं कर आकलन कर चयनित प्रतिभागियों से संगोष्ठी के लिए परचा लिखने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया में कई प्रतिभागियों से पुन: एब्स्ट्रैक्ट लिखने का अनुरोध भी किया गया।

कुल मिलाकर 184 एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त हुए। इनमें से 116 लोगों से पूर्ण परचा लिखने का आग्रह किया गया। अन्तिम रूप से लगभग 100 परचे आयोजन समिति को प्राप्त हुए, जिनमें से 72 की प्रस्तुति इस संगोष्ठी में की गई।

परचों को 3 मुख्य विषयों के अन्तर्गत 15 उप विषयों में बाँटा गया। उप विषयों की विविधता की झलक नीचे दी गई है :

मुख्य विषय: भारत में अध्यापन-कर्म व उसमें बदलाव

उपविषय

- कक्षा में ज्ञान-निर्माण की प्रक्रियाएँ
- अध्यापन की वर्तमान चुनौतियाँ
- संस्थागत और शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाएँ
- शिक्षण-कर्म का स्वरूप: व्यापक परिप्रेक्ष्य
- शिक्षण के विविध आयाम: सैद्धान्तिक विवेचन, शोध और अनुभव
- बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में शिक्षक का काम

मुख्य विषय: अध्यापक बनने की प्रक्रिया

उपविषय

- शिक्षण के वृत्तांत
- शिक्षक बनने की पूर्व तैयारी: संस्थागत प्रक्रियाएँ
- सेवाकालीन सक्रियता: संस्थागत प्रक्रियाएँ और स्वैच्छिक मंच
- विविध अनुभव और सैद्धान्तिक विवेचन
- संस्थाओं के काम
- बदलते समय की जरूरतें
- अनुभव और विवेचन

मुख्य विषय : अध्यापक की पहचान

उपविषय

- व्यापक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- व्यापक नीतिगत परिप्रेक्ष्य और शिक्षण के विविध अनुभव

परचा प्रस्तुत करने वालों में देश भर के विभिन्न हिन्दी भाषी क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक, सरकारी तथा गैर-सरकारी शैक्षिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, शोध संस्थाओं के शोधार्थी तथा स्वतंत्र रूप से काम कर रहे शिक्षा-सरोकारी शामिल थे।

इन व्यक्तियों की भागीदारी के मोटे विश्लेषण अनुसार सेमिनार में शामिल 14 राज्यों से आए 82 में से परचे प्रस्तुत करने वाले लोगों में 36 महिलाएँ थीं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पर्चा प्रस्तुत करने वालों में 12 स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक थे, 23 शिक्षक-प्रशिक्षक थे। महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढाने वाले 26 संकाय सदस्यों द्वारा, 9 शोधार्थियों और एक अध्ययनरत छात्रा द्वारा शोध परचे पढ़े गये। शिक्षा में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले 3 शिक्षक-शिक्षकों/ शिक्षा सरोकारियों ने भी परचे पढ़े। कुल मिलाकर पर्चा पढ़ने वाले 7 विश्वविद्यालय, 4 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, 7 विद्यालय, 4 महाविद्यालय और 8 स्वयंसेवी संस्थाओं/ संगठनों से थे।

मुख्य विषय: भारत में अध्यापन-कर्म व उसमें बदलाव, के 6 उपविषयों में 28 पेपर पढ़े गए, दूसरे मुख्य विषय : अध्यापक बनने की प्रक्रिया, के 7 उपविषयों में 33 पेपर पढ़े गए और तीसरे मुख्य विषय: अध्यापक की पहचान, के 2 उपविषयों में 13 पेपर प्रस्तुत किए गए।

संगोष्ठी में विचार-विमर्श में परचा प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों के अलावा लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों ने श्रोताओं के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इनमें अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल थे। इन विद्यार्थियों ने संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग भी दिया।

70 परचों की प्रस्तुति के लिए 20 समानांतर सत्र रखे गए। हर सत्र में 2 से 4 व्यक्तियों ने अपने परचे प्रस्तुत किए।

कई व्यक्तियों ने अपने परचे की प्रस्तुति के लिए पावर-पाइंट माध्यम का उपयोग किया। प्रस्तुति के लिए क्रमशः 10,20,25 मिनट का समय दिया गया था। हर प्रस्तुति के बाद उपस्थित श्रोताओं ने प्रस्तुतकर्ता से सवाल-जवाब भी किए। इसके लिए पूरे सत्र में 30 से 40 मिनट का समय अलग से निर्धारित था। हर सत्र को एक सक्षम अध्यक्ष ने संचालित किया।

इस संगोष्ठी की एक खास बात यह रही कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत परचा लिखने वाले व्यक्ति को ही संगोष्ठी में परचा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। संगोष्ठी में लगभग 15 ऐसे प्रतिभागियों ने भी भाग लिया, जिनका परचा प्रस्तुति के लिए चुना नहीं गया था। इन्हें भी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि वे विचार-विमर्श में हिस्सा ले सकें, साथ ही यहाँ उभरी बातों को ध्यान में रखकर वे अपने परचे की स्वयं समीक्षा करें और उसे बेहतर बनाएँ।

संगोष्ठी में प्रस्तुत किए जाने वाले परचों के लिए लिखे गए पहले एब्सट्रैक्ट का लगभग 175 पेज का एक संकलन 'आरम्भिक विचारों की बानगी' भी संगोष्ठी के प्रतिभागियों को दिया गया।

संगोष्ठी के प्रतिभागियों के लिए संगोष्ठी की अवधि के लिए भोजन सहित आवास व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई। साथ ही उन्हें अपने निवास स्थान से दिल्ली आने-जाने के लिए रेल के द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया दिया गया।

आयोजक संस्थाओं का विचार है कि वे 'शिक्षा के सरोकार' की इस शृंखला को आगे बढ़ाएँगे। इस संदर्भ में संगोष्ठी में अंतिम दिन समापन सत्र में प्रतिभागियों ने अपने सुझाव सबके सामने रखे।

संगोष्ठी के लिए आए परचों का एक चयन प्रकाशित करने की योजना भी प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING